



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 23479/15/2015/चयन

इन्दौर दिनांक 03 फरवरी, 2016

सहायक कृषि यंत्री लिखित परीक्षा-2013

पदनाम – सहायक कृषि यंत्री

लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अनुक्रमानुसार कुल प्राप्तांक अनुसार योग्यता सूची


स.क्र.	अनुक्रमांक	मेरिट क्र.	नाम	लिंग	प्रावधिक	निःशक्त	भूपू.सै.	श्रेणी	लिखित परीक्षा में प्राप्तांक (पूर्णांक - 200)	साक्षात्कार में प्राप्तांक (पूर्णांक - 25)	कुल प्राप्तांक (पूर्णांक - 225)
1	AEID0100002	9	प्रियंका मेश्राम	F				SC	116.00	16.00	132.00
2	AEID0100003	13	मीना ठाकरे	F				OBC	112.00	6.00	118.00
3	AEID0100009	6	रीतेश कुमार प्यासी	M				GEN	138.00	5.00	143.00
4	AEID0100021	10	कृ. गरिमा झारिया	F				SC	112.00	20.00	132.00
5	AEID0100031	1	मुनीष कुमार पाण्डेय	M				GEN	150.00	10.00	160.00
6	AEID0100075	7	नोकेलाल मेहरा	M				SC	132.00	8.00	140.00
7	AEID0100088	5	पुष्पेन्द्र कुमार सिंह	M				GEN	138.00	7.00	145.00
8	AEID0100094	3	चूड़ामणि देव मिश्रा	M				GEN	138.00	18.00	156.00
9	AEID0200011	12	धर्मेन्द्र कुमार डेहरिया	M				SC	116.00	6.00	122.00
10	AEID0200027	11	नम्रता उपाध्याय	F				GEN	112.00	18.00	130.00

क्र.क.	अनुक्रमांक	मेरिट क्र.	नाम	लिंग	प्रावधिक	निःशक्त	भू.पू.सै.	श्रेणी	लिखित परीक्षा में प्राप्तांक (पूर्णांक - 200)	साक्षात्कार में प्राप्तांक (पूर्णांक - 25)	कुल प्राप्तांक (पूर्णांक - 225)
11	AEID0200040	4	मनीष सिंह तोमर	M				GEN	140.00	6.00	146.00
12	AEID0200074	8	प्रमोद कुमार मीना	M				SC	130.00	7.00	137.00
13	AEID0200078	2	मनीष कुमार मिश्रा	M				GEN	138.00	19.00	157.00

टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में अनारक्षित पदों पर किया गया है ।
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था (जिसका प्रकाशन विज्ञापन में अंकित टीप (2) में उल्लेखित "समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे ।") के अनुसार चयन परिणाम तैयार किया गया है ।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।




स्टाफ आफिसर
म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर